भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1100

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन

1100 श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत एक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के अंतर्गत कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया गया है;
(ख) इस योजना के परिणामस्वरूप आम आदमी को कितनी धनराशि की बचत हुई,यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति में क्या गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं; और
(घ) क्या इस योजना में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों को भी शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) एक मांग-संचालित योजना है, जिसमें ग्रामीण परिवारों सहित देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम के साथ ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन करके रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम की स्थापना के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 6.7 गीगावॉट की संचयी स्थापित सौर क्षमता के साथ 18.71 लाख आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत ग्रामीण परिवारों सहित देश भर में 22.71 लाख घर लाभान्वित हुए हैं।

पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत के बाद से, दिनांक 22.07.2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों सहित देश भर में कुल 39,72,447 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे 48,02,717 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

जबकि इस योजना के तहत आरटीएस स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में काफी हद तक कमी आई है, डिस्कॉम द्वारा देश भर में 18.93 लाख से अधिक लाभार्थियों की सूचना दी गई है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को किसी भी महीने/बिलिंग अवधि के दौरान योजना के तहत आरटीएस सिस्टम की स्थापना के बाद शून्य बिजली बिल प्राप्त करना शामिल है, जो उनकी बिजली की स्वयं की खपत पर निर्भर करता है।

आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के अलावा, पीएमएसजी: एमबीवाई में शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों सहित सरकारी और वाणिज्यिक भवनों में आरटीएस संयंत्रों की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है, तथापि, इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि सीएफए के बिना भी रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना उनके लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य है।

****